16-09-2020

सत्र परीक्षण संख्या 344/1994, 423/2017, 796/2019 व 818/2020
आर0सी0 नं0 8(एस)/92–एसआईयू. वी/एसआईसी. II दिनांक 13.12.1992
आर0सी0 नं0 1(एस)/93–एसआईसी.IV दिनांक 27.08.1993

दिनांक:–16.09.2020

दिनांक 01.09.2020 को उभयपक्ष की बहस पूर्ण होने के उपरांत से पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित की गयी थी।

निर्णय लिखाते समय पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जनपद रायबरेली में साबित कराये गये वस्तु प्रदर्शों की संख्या में वस्तु प्रदर्श–1 से वस्तु प्रदर्श–5 तक अन्य वस्तु प्रदर्शों पर डाले गये है, किन्तु वस्तु प्रदर्श–6 किसी पर न डालकर वस्तु प्रदर्श–7 से आगे साबित कराया गया है।

निर्णय लिखाते समय पत्रावली, प्रदर्शों एवं वस्तु प्रदर्शों के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि पी0डब्लू0–141 सीमा चिस्ती द्वारा साबित करायी गयी वी0एच0एस0 कैसेट पर त्रुटिवश वस्तु प्रदर्श–140 के स्थान पर प्रदर्श क–140 अंकित कर दिया गया है। अतः वी0एच0एस0 कैसेट ए–1, सी0सी0 1/93 को प्रदर्श–140स पढ़ा जाये।

निर्णय लिखाते समय पत्रावली, प्रदर्शों एवं वस्तु प्रदर्शों के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि पी0डब्लू0–181 शम्भू नाथ जायसवाल द्वारा साबित करायी गयी सील्ड सैम्पल मलबा पर त्रुटिवश वस्तु प्रदर्श–194 के स्थान पर प्रदर्श क–194 अंकित कर दिया गया है। अतः सील्ड सैम्पल मलबा नमूना मलबा को प्रदर्श क–194अ पढा जाये।

निर्णय लिखाते समय यह भी ज्ञात हुआ कि प्रदर्शों एवं वस्तु प्रदर्शों की जो सूची बनायी गयी है, उसमें वस्तु प्रदर्श–100 आडियो टेप अंकित है, किन्तु पी0डब्लू0–153 हरीश परदेशी द्वारा ए–13 सी0सी0 1/93 वी0एच0एस0 कैसेट को भी वस्तु प्रदर्श–100 के रूप में साबित कराया गया है, जो वस्तु प्रदर्शों की सूची में लिखे जाने से छूट गया है। अतः वी0एच0एस0 कैसेट वस्तु प्रदर्श–100 को वस्तु प्रदर्श–100अ पढा जाये।

दिनांक 14.08.2020 के आदेश पत्रक में कम संख्या–174 के उपर प्रदर्श क–173ब, पी0डब्लू0–250/04.06.2018, न्यूज़ पेपर डी–56 दिनांक 08.12.1992 त्रुटिवश प्रदर्शों की सूची में अंकित हो गया है, जबकि प्रदर्श क–173ब, पी0डब्लू0–250/04.06.2018, न्यूज पेपर डी–56 दिनांक 08.12.1992 वस्तु प्रदर्श के कालम नंबर 173 पर वस्तु प्रदर्श के रूप में दर्ज है। अतः प्रदर्शों की सूची से प्रदर्श क–173ब, पी0डब्लू0–250/04.06.2018, न्यूज पेपर डी–56 दिनांक 08.12.1992 को निरस्त किया गया।

पत्रावली दिनांक 30.09.2020 को निर्णय सुनाने हेतु पेश हो। अभियुक्तगण उपस्थित आवें।

16.9.20

(सुरेन्द्र कुमार यादव)
पीठासीन अधिकारी
विशेष न्यायालय(अ0प्र0)
लखनऊ।